राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—एफ.2 (ग) (1) अलेसे—I/ दिनांकः 2-1-2014

आदेश संख्याः 330 /2013—14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 30 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकारों को कार्यभार संभालने की दिनांक से 6 माह अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I के पद पर वेतन श्रृंखला (पी.बी.2) 9300—34800 ग्रेड—पे (रूपये 4800/—) में एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता हैः—

क्र.सं.	लिंक नं0	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	प्रवर्ग	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1.	2806	श्री श्रणव कुमार जाजड़ा	-	01.07.59	
2.	3485	श्री जय सिंह मीणा	अजजा	22.10.62	

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन की जाती हैः—

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।
8. यदि कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय

पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जाँच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी/ हो जावेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 18.09.2013 एवं प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण मे जारी किये जाते हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I/7335–41 दिनांकः 2-1-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष..
3. श्री .... लेखाकार, कार्यालय ....
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
5. सहायक निदेशक, अलेसे द्वितीय।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– II)

F:\Madhu Ji\Important orders T.e..doc85